बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान –841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154–242099 (कार्या0)
06154–242860 (कार्या0)
06154–242098 (आवास)
06154–242348 (फैक्स)
email: dm-siwan.bih@nic.in

जिला पदाधिकारी, सीवान की अध्यक्षता में दिनांक–16.07.2018 को जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हुई साप्ताहिक समन्वय (Coordination) बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार। बैठक में अनुपस्थित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,सीवान से पूछने का निदेश दिया गया।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् विभागवार कार्य की प्रगति की समीक्षा निम्न प्रकार की गई :–

1.1–**विधि शाखा– बताया गया कि वर्त्तमान में एम0जे0सी0 का 07 मामला लंबित है।**

क्र0	एम0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	एम0जे0सी0 नं0– /18 गीता कुमारी उर्फ गीता देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीवान	एक सप्ताह के अंदर कारण पृच्छा दाखिल कर ओथ नम्बर की सूचना जिला विधि शाखा को देने का निदेश दिया गया।

1.2–यह भी बताया गया कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के तहत निम्नलिखित मामलों में भी निर्धारित समय–सीमा के अंदर एस0ओ0एफ0 दाखिल किया जाना है :–

क्र0	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–4571/2017 सीमा सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदा0, जिला परिषद, सीवान	बताया गया कि दिनांक–22.04.18 को पारित आदेश के आलोक में 4 सप्ताह के अंदर प्रतिशपथ पत्र दायर करना था, लेकिन अभी तक लंबित है। शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
2	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0 9275/2018 शिवजी दूबे बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	बताया गया कि इसमें दिनांक–26.06.18 को पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक–10.07.18 तक प्रतिशपथ पत्र दायर करना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
3	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–11722/2018 रामचन्द्र चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सीवान सदर/ अंचल अधिकारी, मैरवा	दिनांक–27.06.18 को पारित आदेश के आलोक में 4 सप्ताह के अंदर प्रतिशपथ पत्र दायर करना है। शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्डो के वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे नियमित रुप से लंबित एम0जे0सी0/सी0डब्ल0जे0सी0 के मामलो की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय के अंदर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल हो जाय। साथ ही सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी अपने–अपने विभाग से संबंधित लंबित एम0जे0सी0/सी0डब्ल0जे0सी0 की सूची रखें एवं निर्धारित समय के अंदर उसका निष्पादन करना सुनिश्चित करे।

2–लोक शिकायत निवारण :– बताया गया कि कोई समस्या नहीं है।

3–आर0टी0पी0एस0– आई0टी0मैनेजर द्वारा बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सीवान सदर अनुमण्डल के अंतर्गत 15 एवं महाराजगंज अनुमण्डल के अंतर्गत 36 कुल 51 मामले कालबाधित हुए हैं। जिलाधिकारी द्वारा इस पर असंतोष व्यक्त किया गया और अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित कर अगले 21 दिनों में कालबाधित होने वाले मामलों की सूची SSPMIS पर प्रविष्टी कराकर अग्रसारित करते हुए निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।

4–विद्युत :– बताया गया कि कोई समस्या नहीं है।

5–सहकारिता– जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी तक 92.20 प्रतिशत सी0एम0आर0 प्राप्त हुआ है।उन्हें शतप्रतिशत सी0एम0आर0 की प्राप्ति 31 जुलाई,2018 के पूर्व सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

6–आपूर्त्ति :– बताया गया कि कोई समस्या नही है।

7–निर्वाचन :–

उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मतदान केन्द्रों के सत्यापन का कार्य पूर्ण हो गया है और कुछ आपत्तियॉ प्राप्त हुई है, जिन्हें निर्वाची पदाधिकारियों को जॉच कर निष्पादित करने हेतु भेज दिया गया है।जिलाधिकारी द्वारा सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे दिनांक–17.07.18 तक सभी आपत्तियों का निष्पादन कर प्रतिवेदन भेज दें ताकि दिनांक–18.07.18को आहूत राजनीतिक दलों की बैठक में स्थिति से अवगत कराया जा सके।

8–खनन :– खनन निरीक्षक द्वारा बताया गया कि डिपो में बालू आ गया है। जिलाधिकारी द्वारा उन्हें निदेश दिया गया कि शौचालय निर्माण एवं अन्य लम्बित योजनाओं के लिए नियमानुसार बालू उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9–बाढ़ नियंत्रणः–कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, सीवान द्वारा बताया गया कि बाढ़ की स्थिति सामान्य है और नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से नीचे है।

13–विविधः–

1– प्रभारी पदाधिकारी, मानवाधिकार आयोग एवं लोकायुक्त शाखा द्वारा बताया गया कि लंबित मामलों की सूची सभी कार्यालयों में एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध करा दी गयी थी। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि बैठक में लम्बित मानवाधिकार आयोग एवं लोकायुक्त से सम्बंधित मामलों एवं लंबित लोक सभा/विधान सभा प्रश्नो की सूची लेकर आया करें ताकि बैठक में पदाधिकारियों के साथ उसकी समीक्षा की जा सके। साथ ही सभी पदाधिकारिया कों इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन भेज देने का निदेश दिया गया।

2– भी0भी0पैट गोदाम के निर्माण के सम्बंध में कार्यपालक अभियन्ता,भवन प्रमण्डल,सीवान द्वारा बताया गया कि प्राक्कलन बनाकर विभाग को समर्पित कर दिया गया है। उन्हें पहल कर अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

3–जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि दिनांक–17.07.18 तक सभी पदाधिकारी जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की दिनांक–25.04.18 की बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन निश्चित रुप से उप विकास आयुक्त,सीवान को भेज दें। उप विकास आयुक्त को निदेश दिया गया कि दिनांक–17.07.2018 तक सभी विभागों से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर एवं उन्हें संकलित कर दिनांक–18.07.18 को उनके समक्ष प्रस्तुंत करना सुनिश्चित करें।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
जिलाधिकारी,सीवान

ज्ञाप सं0– 1836/सी0 दिनांक– 16 वीं जुलाई, 2018 ई0

प्रतिलिपिः–उप विकास आयुक्त,सीवान/अपर समाहर्ता,सीवान/निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,सीवान/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,सीवान/सिविल सर्जन,सीवान/ सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल पदाधिकारी,सीवान,महाराजगंज/भूमि सुधार उप समाहर्ता,सीवान,महाराजगंज/समाहरणालय की सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान/महाराजगंज/ कोषागार पदाधिकारी,सीवान/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों/कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/आई0टी0मैनेजर,सीवान को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

16.07.18

जिलाधिकारी,सीवान